न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 287/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आवास फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री देवीलाल पिलानियां
कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालयः– 201–202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राज.–302020
शाखा कार्यालयः– द्वितीय तल, पार्वती टॉवर, पोलो ग्राउण्ड, हरीराम मार्ग, चांदपोल, सीकर, राज.–332001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मंजू पत्नी राजू राम**
   प्रथम पताः– ढ़ाणी रावजी की, नीम का थाना, जिला सीकर, राज.–332705
   द्वितीय पताः– पट्टा सं. 24, ग्राम ढ़ाणी रावजी की, नीमकाथाना, जिला सीकर
2. **कालू पुत्र सरदाराराम गुर्जर** निवासी ढ़ाणी रावजी की, घनेश्वर, नीम का थाना, जिला सीकर, राज.–332705
3. **बाबुलाल मिस्त्री गुर्जर पुत्र सुल्तानाराम गुर्जर** निवासी ढ़ाणी रावजी की, नीमकाथाना, जिला सीकर, राज.–332705

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 27 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री परिवेश कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मंजू पत्नी राजू राम, कालू पुत्र सरदाराराम गुर्जर** एवं **बाबुलाल मिस्त्री गुर्जर पुत्र सुल्तानाराम गुर्जर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा सं. 24, ग्राम ढ़ाणी रावजी की, नीमकाथाना, जिला सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1472**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

वर्गफुट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में मुखराम का मकान, दक्षिण दिशा में राजपूत की भूमि, पूरब दिशा में नोहरा स्वयं का व पश्चिम दिशा में स्वयं का चौक व आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर क्रमशः **₹3,25,000/– (अक्षरे रूपये तीन लाख पच्चीस हजार)** एवं **₹1,62,000/– (अक्षरे रूपये एक लाख बासठ हजार) का ऋण स्वीकृत** कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **05.07.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री मुकेश कुमार सैनी उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **05.07.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) कीफोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मंजू पत्नी राजू राम, कालू पुत्र सरदारा राम गुर्जर** एवं **बाबुलाल मिस्त्री गुर्जर पुत्र सुल्तानाराम गुर्जर** की ओर से पुनर्भुगतान

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा सं. 24, ग्राम ढ़ाणी रावजी की, नीमकाथाना, जिला सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1472 वर्गफुट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में मुखराम का मकान, दक्षिण दिशा में राजपूत की भूमि, पूरब दिशा में नोहरा स्वयं का व पश्चिम दिशा में स्वयं का चौक व आम रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्तिका भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **27 अप्रैल, 2026**को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर